राजद्रोह कानून

चर्चा में क्यों ?

- सुप्रीम कोर्ट ,औपनिवेशिक काल के दंड कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने वाला है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कानून के खिलाफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका सहित 12 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

राजद्रोह कानून क्या है ?

- ऐसा अपराध, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है, राजद्रोह कहलाता है।
- राजद्रोह कानून,"सरकार के प्रति असंतोष" पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124(A) के तहत जीवन की अधिकतम जेल की सजा का प्रावधान करता है।
- वर्तमान याचिकाओं में स्वतंत्रता-पूर्व युग के, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ प्रावधान का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले दर्ज किए गए देशद्रोह के मुकदमों में से एक 1898 का मुकदमा था, जब स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किए गए थे।

CJI पीठ

- तत्कालीन CJI N.V. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया था कि नई प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा, चल रही जांच, लंबित परीक्षण और राजद्रोह कानून के तहत समस्त कार्यवाही स्थगित रहेगी। "आईपीसी की धारा 124A (देशद्रोह) की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है", और इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार आवश्यक है।
- यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है, तो प्रभावित पक्ष उचित राहत के लिए अदालतों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- पीठ केंद्र के इस सुझाव से सहमत नहीं थी कि राजद्रोह के कथित अपराध के लिए FIR के पंजीकरण की निगरानी के लिए एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2015 और 2020 के बीच, राजद्रोह के 356 मामले, जैसा कि IPC की धारा 124(A) के तहत परिभाषित किया गया है, दर्ज किए गए और 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

स्रोत- द हिन्दू

कुकी-चिन शरणार्थी समस्या

चर्चा में क्यों ?

- मिजोरम में नागरिक समाज समूहों ने आइजोल में गवर्नर हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि बांग्लादेश से कुकी-चिन शरणार्थियों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे पड़ोसी देश में सुरक्षित नहीं हैं।
- जिसके तर्क में बांग्लादेश से 'मिज़ो समुदाय ' को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने पर 'जातीय आधार पर भेदभाव' की अवधारणा प्रस्तुत की गयी ।

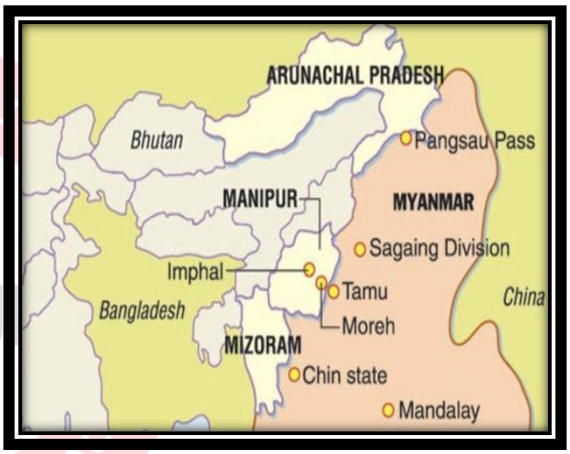

प्रमुख बिंदु

- सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन (CYMA) के अनुसार, बिना किसी भोजन और पानी के दोनों देशों के बीच एक जंगल में फंसे कुकी-चिन समुदाय के मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है ।
- कुकी-चिन समुदाय के कई लोगों ने नवंबर, 2022 में बांग्लादेश से भागकर मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले के कई गांवों में शरण ली। “लगभग 272 लोगों के शरणार्थियों के पहले समूह ने मिजोरम में प्रवेश किया और लॉन्गतलाई जिले के परवा III गांव में शरण ली ।
- 1970 के दशक में बांग्लादेश से विस्थापित हजारों चकमा समुदाय के लोगों को (ज्यादातर बौद्ध) को भारत में रहने की अनुमति दी गयी थी, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बस गये थे ।

चकमा समुदाय

- चकमा (Chakma) बांग्लादेश के चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा समुदाय है। ये चकमा भाषा बोलते हैं जो एक हिन्द-आर्य भाषा है और ये हिन्दू व थेरवाद बौद्ध धर्मों के अनुयायी होते हैं।
- ये भारत के मिज़ोरम राज्य और बर्मा के रखाइन राज्य के कुछ क्षेत्रों में भी निवास करते हैं।
- आनुवांशिक दृष्टि से चकमा लोगों का बर्मा व तिब्बत की मूल जातियों से सम्बन्ध है।

स्रोत- द हिन्दू

17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन-2023

चर्चा में क्यों ?

- 9 जनवरी, 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया।
- **विषय -"प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार"** ।
- महामारी के दौरान 2021 में अंतिम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था।
- गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन- 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

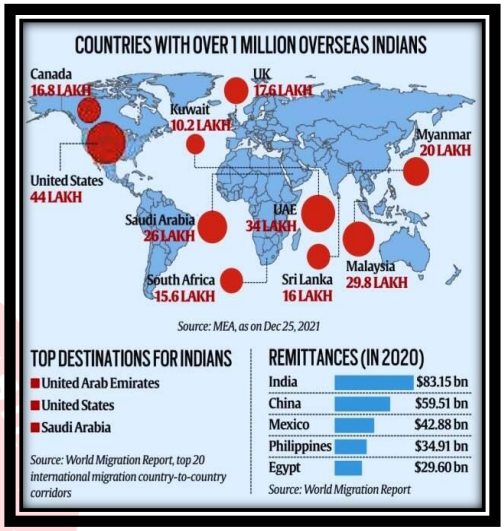

प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में

- वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, विशेष रूप से 2015 के बाद से आकार और दायरे में बढ़ गया है, जब विदेश मंत्रालय ने इस आयोजन को **द्विवार्षिक कार्यक्रम** में बदल दिया था।
- प्रवासी दिवस 9 जनवरी, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद दिलाता है।

भारतीय प्रवासियों का इतिहास

- 'डायस्पोरा' शब्द की जड़ें ग्रीक शब्द डायस्पेरो से मिलती हैं, जिसका अर्थ है फैलाव। भारतीय डायस्पोरा कई गुना बढ़ गया है क्योंकि भारतीयों के पहले जत्थे को गिरमिटिया व्यवस्था के तहत गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पूर्वी प्रशांत और कैरेबियाई द्वीपों में ले जाया गया था।
- प्रवासन की दूसरी लहर के हिस्से के रूप में, लगभग 20 लाख भारतीय खेतों में काम करने के लिए सिंगापुर और मलेशिया गए। तीसरी और चौथी लहर में तेल में उछाल के मद्देनजर पेशेवर एवं श्रमिक पश्चिमी देशों ,खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों की ओर गए।

प्रवासी भारतीयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO), भारत के विदेशी नागरिक (OCI)।

NRI भारतीय हैं जो विदेशों के निवासी हैं। PIO श्रेणी को 2015 में समाप्त कर दिया गया था और OCI श्रेणी के साथ विलय कर दिया गया था। PIO कार्ड 31 दिसंबर, 2023 तक वैध हैं, जिसके द्वारा इन कार्ड धारकों को OCI कार्ड प्राप्त करना होगा।

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पांच विषयगत पूर्ण सत्र-

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669

- पहला पूर्ण सत्र युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 'नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका' पर होगा।
- दूसरा पूर्ण सत्र 'अमृत काल में भारतीय हेल्थकेयर इको-सिस्टम को बढ़ावा देने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका: विजन @ 2047' पर होगा जिसका कियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में और विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह की सह-अध्यक्षता में होगा।
- तीसरा पूर्ण सत्र विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में 'भारत की नरम शक्ति का लाभ उठाना - शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना' पर होगा।
- चौथा पूर्ण सत्र शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना - भारतीय डायस्पोरा की भूमिका' पर होगा।
- पांचवा पूर्ण सत्र वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 'राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की क्षमता का दोहन' पर होगा।

PIO- एक विदेशी नागरिक (पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के एक नागरिक को छोड़कर) को संदर्भित करता है, जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था, या जो या उनके माता-पिता / दादा-दादी में से कोई एक /परदादा भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित के अनुसार भारत में पैदा हुए थे और स्थायी रूप से रह रहे थे, या जो भारत के नागरिक या PIO के पति या पत्नी हैं।

OCI, की एक अलग श्रेणी 2006 में बनाई गई थी। OCI कार्ड उस विदेशी नागरिक को दिया गया जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक होने के योग्य था, जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था। , या एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक थे, को छोड़कर, OCI कार्ड के लिए भी पात्र थे।

स्रोत – पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस

फातिमा शेख

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत की गुमनाम नारीवादी आइकन फातिमा शेख की 192वीं जयंती मनाई गयी। इन्हें जयंती (9 जनवरी) पर गूगल- डूडल से भी सम्मानित किया गया।

फातिमा शेख के बारे में

- फातिमा शेख, भारतीय इतिहास में अक्सर एक गुमनाम शख्सियत हैं ,वह एक अग्रणी शिक्षिका, जाति-विरोधी कार्यकर्त्ता, लड़कियों की शिक्षा की समर्थक और 19वीं सदी के महाराष्ट्र में समाज सुधारक थीं।
- सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के साथ, उन्होंने जोरदार विरोध के बावजूद, 1848 में देश में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया।

- फातिमा शेख की सावित्रीबाई से मित्रता तब हुई जब दोनों को अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फर्रार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित किया गया था। कार्यक्रम में रहते हुए, दोनों ने अपनी रणनीति और उन लोगों को शिक्षित करने के मिशन पर एक बंधन विकसित किया, जिन्हें पारंपरिक रूप से ज्ञान और शिक्षा से वंचित रखा गया था।
- सावित्रीबाई और फातिमा ने फर्रार की मदद से, जो उस समय अहमदनगर में था, लड़कियों के एक छोटे समूह को पढ़ाने का काम संभाला। दलितों और महिलाओं के लिए अन्य स्कूलों का अनुसरण किया गया, फातिमा और सावित्रीबाई ने शहर भर के अलग-अलग परिवारों में जाकर उन्हें अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए राजी करने का प्रयास किया।
- हालाँकि, पुणे में, मराठी संस्कृति और परंपरा का एक रूढ़िवादी समूह के कारण इन्हें वंचितों को शिक्षित करने के प्रयास के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- दोनों महिलाओं पर अक्सर सड़कों पर चलते समय पत्थर और गोबर के टुकड़े फेंके जाते थे। फातिमा को विशेष रूप से उच्च जाति के हिंदुओं और रूढ़िवादी मुसलमानों दोनों के क्रोध का सामना करना पड़ा।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

'टाइटल 42' आप्रवासन नीति

चर्चा में क्यों ?

- मार्च, 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत में लायी गयी योजना 'शीर्षक- 42' पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वह COVID-19 महामारी-युग के प्रतिबंधों का विस्तार करेगा।

टाइटल – 42 के बारे में

- टाइटल - 42 के तहत, अमेरिकी अधिकारियों को ज़मीनी सीमा से अमेरिका में घुसने वाले अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का असीमित अधिकार मिल जाता है।
- टाइटल- 42 को कोरोना महामारी की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लागू किया था।

- टाइटल- 42 दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अस्तित्व में आयी थी। इसमें कहा गया था कि किसी भी संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए अमेरिका कोई भी आपातकालीन कदम उठा सकता है, परन्तु कोविड महामारी से पहले इसके इस्तेमाल का कोई उदाहरण नहीं मिलता है।
- किसी भी रास्ते से अमेरिका आने वाले प्रवासियों के पास शरण के लिए अपील करने का अधिकार है लेकिन टाइटल 42 के तहत, बॉर्डर में घुसने के कुछ घंटे के अंदर ही प्रवासियों को निकालने की व्यवस्था है ताकि उनके पास शरण हेतु कानूनी रास्ता लेने का समय न रहे।

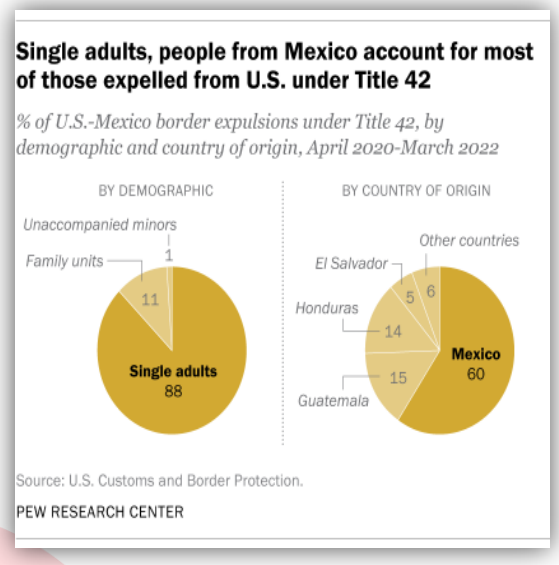

अमेरिकी सरकार का ईगल अधिनियम क्या है ?

- EAGLE Act को "Equal Access to Green cards for Legal Employment Act" भी कहा जाता है। यह रोजगार-आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रति देश 7 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने का प्रावधान करता है। इस एक्ट के माध्यम से वीजा पर प्रति देश 7 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 15 % करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
- इस नीति के कारण भारतीयों को भी लाभ हो सकता है।

THE STUDY
MAA PHALESHU KADAACHAN
An Institute for IAS